फर्द अहकाम

कार्यालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमंद

श्री गोपाल दवे निवासी 168 / 3, शीतल नगर, बाणगंगा इन्दौर (म.प्र.) — **अपीलार्थी**

बनाम

लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द — **प्रत्यर्थी**

किस्म मुकदमा — अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 42 / 2024**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाए जारी की गई
	दिनांक 29.05.2024 पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर सूचना लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द से वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द से जरिये क्रमांक : एफ.1( )सू0अ0,05 / प्र.अपील / 2024 / 3008 दिनांक 27.05.2024 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी / अपीलान्ट का आवेदन पत्र जरिये डाक से दिनांक 08.04.2024 को प्राप्त हुआ। प्रार्थी अपीलार्थी द्वारा चाही गयी सूचना कार्यालय के राजस्व अनुभाग से संबंधित होने से इस कार्यालय द्वारा प्रभारी अधिकारी राजस्व अनुभाग को पत्रांक 2000—2001 दिनांक 12.04.24 से बिन्दु संख्या 01 की सूचना उपलब्ध कराने बाबत् पत्र प्रेषित किया गया एवं बिन्दु संख्या 02 की सूचना इस कार्यालय की नहीं होकर अन्य कार्यालय से संबंधित है जो कि एक से अधिक अलग विभाग / प्राधिकरण की होने से भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन क्रमांक 10.02.2008 आई.आर. दिनांक 24.09.2010 की अनुपालना नियमानुसार पृथक से प्रार्थी अपने स्तर से आवेदन सीधे ही संबंधित प्राधिकरण को कर वांछित सूचना प्राप्त करने हेतु सूचित किया गया। प्रभारी अधिकारी राजस्व अनुभाग के पत्रांक 821 दिनांक 23.05.2024 से इस कार्यालय को उपलब्ध अभिलेख अनुसार सूचना उपलब्ध कराई गई। इस कार्यालय के पत्रांक 3007 दिनांक 24.05.2024 से सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 7(6) के तहत नियमानुसार वांछित सूचना बिना किसी प्रभार के अधिप्रमाणित सूचना जरिये रजिस्टर्ड डाक प्रार्थी को प्रेषित कि गयी है लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित लोक	

कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द कार्यालय के पत्रांक 3007 दिनांक 24.05.2024 से सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 7(6) के तहत नियमानुसार वांछित सूचना बिना किसी प्रभार के अधिप्रमाणित सूचना जरिये रजिस्टर्ड डाक प्रार्थी को भिजवा दी जाने से उक्त प्रकरण इसी स्टेज पर निर्णित किया जाता है

निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर राजसमन्द को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर) राजसमंद

कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)